FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

हीरालाल बनाम रणजीत

किस्म मुकदमा – 111–128 नम्बर 56/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/3/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 28/3/2024 को पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
28/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 4/4/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
4/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद-सूचना अनुपस्थित। पत्रावली आदेश पृथक से लिखवाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [seal: कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)] [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 56/ 2024 राजस्व तारीख दायर 11/3/24

घीसीलाल पिता केला जाति माली उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

............प्रार्थी

बनाम्

1. रणजीत पिता मथरालाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. रतन पिता मथरालाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. मोडुलाल पिता किशना जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 04/04/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलिन्द्रि तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 40 पर अंकित आराजी संख्या 341 रकबा 1.1898 है0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 207 –207 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस ~~500~~ /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा। नियमानुसार

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलिन्द्रि तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 40 पर अंकित आराजी संख्या 341 रकबा 1.1898 है0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या -56/ 2024 राजस्व   तारीख दायर 11/03/24

प्रेषिति :-तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 56/ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

घीसीलाल पिता केला जाति माली उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

...........प्रार्थी

बनाम्

1. रणजीत पिता मथरालाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. रतन पिता मथरालाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. मोडुलाल पिता किशना जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

..........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलिन्द्रि तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 40 पर अंकित आराजी संख्या 341 रकबा 1.1898 है0 भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक   को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियां जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या –56/2024 राजस्व

तारीख दायर 11/03/2024

प्रेषिति :–तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या 56 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

घीसीलाल पिता केला जाति माली उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

............प्रार्थी

बनाम्

1. रणजीत पिता मथरालाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. रतन पिता मथरालाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. मोडुलाल पिता किशना जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

..........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलिन्द्रि तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 40 पर अंकित आराजी संख्या 341 रकबा 1.1898 है0 भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक नियमानुसार को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/–रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (बिजौलियां, भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा